प्रेस विज्ञप्ति

1. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने *सुब्रत भट्टाचार्य बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) [सिविल अपील सं. 13301 / 2015]* के मामले में तथा अन्य संबंधित मामलों में 2 फरवरी, 2016 को एक आदेश पारित किया था । उक्त आदेश के माध्यम से, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को, *अन्य बातों के साथ-साथ,* यह निदेश दिया गया था कि वह माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एम. लोढा (भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति) की अध्यक्षता में एक समिति गठित करे, ताकि पीएसीएल लि. द्वारा खरीदी गई जमीन (लैण्ड) की बिक्री की (को डिस्पोज़ ऑफ किया) जा सके, जिससे कि बिक्री से मिलने वाले पैसों (सेल प्रोसीड्स) से उन निवेशकों को भुगतान किया जा सके, जिन्होंने इस कंपनी (पीएसीएल लि.) में अपना पैसा लगाया था ।

2. तदनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री आर.एम. लोढा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, ताकि पीएसीएल की संपत्तियों की बिक्री की जा सके और बिक्री से मिलने वाले पैसों (सेल प्रोसीड्स) से उन निवेशकों को धन-वापसी की (रिफंड किया) जा सके, जिन्होंने पीएसीएल में अपना पैसा लगाया था ।

3. उपरोक्तानुसार गठित समिति ने यह तय किया है कि अब तक जो रकम समिति द्वारा वसूल की गई है उससे पीएसीएल के निवेशकों को धन-वापसी (रिफंड) करने की प्रक्रिया शुरू की जाए । समिति ने यह निर्णय लिया है कि वह सबसे पहले उन निवेशकों से दावे प्राप्त करेगी जिनका पीएसीएल की तरफ से 2,500 रुपये तक का मूलधन बकाया है । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दावा करने वाले प्रत्येक निवेशक को 2,500 रुपये की रकम की धन-वापसी कर दी जाएगी (का रिफंड कर दिया जाएगा), क्योंकि धन-वापसी (रिफंड) तो आनुपातिक आधार पर इन बातों पर

गौर करने के बाद की जाएगी (किया जाएगा) कि कितने दावे प्राप्त हुए हैं और समिति के पास कितना पैसा (फंड) है ।

4. उपरोक्त के मद्देनज़र, जिन निवेशकों का पीएसीएल की तरफ से 2,500 रुपये (प्रति निवेशक) तक का मूलधन बकाया है, केवल उन्हीं निवेशकों से यह आग्रह किया जाता है कि वे निम्नलिखित विवरण भेजें । वे या तो ये विवरण एसएमएस के जरिए **562632 पर** भेज सकते हैं या फिर इन विवरणों को वेबसाइट (**http://sebicommitteepaclrefund.com/**) पर अपलोड कर सकते हैं ।

- निवेशक का नाम (पीएसीएल के प्रमाणपत्र के अनुसार),
- दावे की रकम (रुपये में),
- दावा करने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर,
- *पीएसीएल स्कीम पेमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर*,
- पीएसीएल के प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति,
- आधार / पैन नंबर,
- बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड,
- क्या दावा करने वाले निवेशक को पीएसीएल द्वारा जमीन (लैण्ड) का आबंटन कर दिया गया है,
- पैन कार्ड / आधार कार्ड की स्कैन की हुई प्रति, और
- बैंक खाते के विवरण (सबसे अंत के) की स्कैन की हुई प्रति, जिसमें पिछले तीन लेनदेन (ट्रांजैक्शन) दर्शाए गए हों [आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि अपलोड किए हुए बैंक खाते के विवरण (सबसे अंत के) में नाम, पता, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड साफ-साफ दिख रहे हों] ।

इस संबंध में, धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन किए जाने की प्रक्रिया बताने वाला एक डेमो वीडियो वेबसाइट (**http://sebicommitteepaclrefund.com/**) पर दिया गया है, जिसे आवेदन करने से पहले देखा जा सकता है । निवेशक धन-वापसी (रिफंड) हेतु किए गए अपने आवेदनों की स्थिति जानने के लिए <**044-395-71985>** पर संपर्क (कॉल) भी कर सकते हैं ।

5. निवेशक कृपया यह नोट कर लें कि वे केवल ऊपर पैरा 4 में मांगी गई जानकारी ही भेजें और वे यह जानकारी ठीक वैसे ही भिजवाएँ जैसा बताया गया है । साथ ही, निवेशकों को इस बात से आगाह भी किया जाता है कि वे अपने पीएसीएल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ किसी को भी न दें, जब तक कि उन्हें समिति की ओर से इस बारे में खास तौर पर कोई सूचना प्राप्त न हो ।

6. धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख **28 फरवरी, 2018** है ।

XXXXXX